भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110 001

सं. 3/ई आर/एस डी आर/2012 दिनांक : 02 जुलाई, 2012

सेवा में

सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : **अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामांकन पत्रों के साथ शपथपत्र दाखिल करना–उसका प्रचार प्रसार करना।**

महोदय/महोदया,

अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्रों के साथ दाखिल किए गए शपथपत्रों में दी गई सूचना को प्रचारित करने के संबंध में कृपया आयोग के अनुदेशों का संदर्भ लें। अन्य बातों के साथ–साथ, आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि शपथपत्र की प्रतियों को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में जहां आर ओ/ए आर ओ के कार्यालय संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की सीमा क्षेत्र से बाहर हैं तो शपथपत्र की प्रतियों को निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के अंदर प्रमुख सार्वजनिक कार्यालय के परिसर में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के शपथपत्रों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अपेक्षित होता है।

2. कभी–कभी ऐसी शिकायतें भी प्राप्त होती हैं कि पर्याप्त प्रचार/जागरूकता तंत्र के अभाव में जन साधारण को अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए शपथपत्रों की उपलब्धता के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है जिसके परिणामस्वरूप शपथपत्रों से अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि के बारे में निर्वाचकों को अवगत कराने के अपेक्षित प्रयोजन की पूर्णतः पूर्ति नहीं हो पाती है और वे अपने प्रतिनिधि के पूर्व चयन के संबंध में निर्णय नहीं ले पाते हैं।

3. आयोग ने यह निदेश दिया है कि प्रत्येक निर्वाचनों में राज्य और जिला स्तर पर यह उल्लिखित करते हुए प्रेस प्रकाशनी जारी की जानी चाहिए कि अभ्यर्थियों के शपथपत्र निर्वाचकों के

देखने के लिए उपलब्ध हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी की प्रेस प्रकाशनी में उस/उन स्थान/स्थानों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जहां शपथपत्र प्रदर्शित किए गए हैं। प्रेस प्रकाशनी में इस संबंध में भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि शपथपत्रों को वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है और वेबसाइट पर उनकी स्थिति का पता लगाने के पथ का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

4. आगामी निर्वाचनों में अनुपालन हेतु इन अनुदेशों को कृपया सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय

(के. एफ. विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 3/ER/SDR/2012 Dated: 2nd July, 2012

To

The Chief Electoral Officer of all
States and UTs.

Sub: Affidavit filed by candidates along with their nomination papers- dissemination thereof.

Sir/Madam,

Please refer to the Commission's instructions regarding dissemination of information in the affidavits filed by the candidates along with the nomination papers. The Commission has, inter alia, directed that copies of affidavits should be displayed on the notice board of RO/ARO, and in cases where offices of RO and ARO are outside the boundary of the constituency concerned, copies of affidavits should also be displayed in the premises of a prominent public office within the limits of the constituancy. Further, affidavits of all contesting candidates are required to be uploaded on the website of the CEO.

2. There are complaints at times that in the absence of adequate publicity/awareness mechanism, the general public is not sensitized about the availability of the affidavits filed by the candidates with the result that the affidavits do not fully serve the intended purpose of enabling the electors to know the background of the candidates so as to enable them to make an informed choice of their representative.

3. The Commission has directed that, at every election, press releases should be issued at the State and District level stating that affidavits of the candidates are available for the electors to see. and clearly mentioning in the Press release of the DEO, place(s) at which copies of the affidavits have been displayed. The press releases should also make it clear that the affidavits can also be viewed on the website, and the path to locate them on the website should also be mentioned.

4. Please bring these instructions to the notice of all DEOs, ROs and other authorities concerned for compliance in future elections.

Yours faithfully,

(K.F.WILFRED)
PRINCIPAL SECRETARY